उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-25/2016/आर-376/26-3-2016

लखनऊः दिनांकः09 फरवरी 2016

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-320/120/ज.जा. वि./स्था-2015-16 दिनांक-22.01.2016 में की गयी संस्तुति के क्रम में श्री बैकुन्ठ लाल द्विवेदी, सहायक अध्यापक, प्राथमिक पाठशाला, घुसकिया, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, लखीमपुरखीरी जिनकी दिनांक-31.01.2016 को शैक्षिक सत्र 2015-16 में अधिवर्षता आयु पूर्ण हो चुकी है, के कार्य एवं दायित्वों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-7704/26-1-1990-2जी(150)/89,दिनांक-21.01.1991 शासनादेश संख्या-5717/26-1-1995-2जी(150)/89, दिनांक-19.01.1996 तथा शासनादेश संख्या-2114/26-1-2015-2जी(150)/89, दिनांक-17.08.2015 में उल्लिखित शर्तो/प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय श्री बैकुन्ठ लाल द्विवेदी, सहायक अध्यापक को शैक्षिक सत्र 2015-16 में दिनांक-31.03.2016 तक का सत्रलाभ दिये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

पृ0सं0-25/2016/आर-376(1)/26-3-2016-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उनके उक्त पत्र दिनांक-22.01.2016 के सन्दर्भ में।

3-कोषाधिकारी, लखीमपुरखीरी।

4-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चैकी, लखीमपुरखीरी।

5-श्री बैकुन्ठ लाल द्विवेदी, सहायक अध्यापक, प्राथमिक पाठशाला, घुसकिया, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चैकी, लखीमपुरखीरी।

6-गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in